[2021] 7 एस.सी.आर. 171

सुरेन्दरन

बनाम

पुलिस उप-निरीक्षक

(आपराधिक अपील संख्या 536/2021)

30 जून, 2021

[न्यायमूर्ति अशोक भूषण**,** न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह**]**

सजा/सजा देना-निचली अदालत (मजिस्ट्रेट) ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279,338 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने के कारावास और रू 500/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि बरकरार रखी गई-हालाँकि, अपीलकर्ता पूरे समय जमानत पर था-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील-सजा का प्रश्न-अपीलकर्ता की याचिका कि वह चार बच्चों और उसकी पत्नी वाले एक गरीब परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था; और अगर उसे इतने वर्षों के बाद जेल भेजा गया, तो उसे अपूरणीय क्षति होगी-आयोजितःअपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि-हालांकि, तथ्यों पर, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि अपराध करने की तारीख से 26 साल बीत चुके थे, छह महीने की दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 और 338 प्रत्येक धारा के सजा को रू 1000/- के जुर्माने से प्रतिस्थापित किया गया जबकि जुर्माना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 बनाए रखा - दंड भारतीय दण्ड संहिता, 1860-एस. एस.279, 337 और 338।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने आयोजित किया/माना।

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि में कोई त्रुटि नहीं है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि घटना के 26 साल बीत चुके हैं, यह न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 और 338 के तहत छह महीने के कारावास की सजा को जुर्माने में बदलने के लिए इच्छुक है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 और 338 के तहत छह महीने की सजा के स्थान पर रू 1000/- का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 के तहत जुर्माने की सजा बरकरार रखी जाती है। [पैरा 11] [174-ए-बी]

प्रकाश चंद्र अग्निहोत्री बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1990)पूरक एससीसी 764-प्रतिष्ठित।

ए. पी. राजू बनाम उड़ीसा राज्य 1995 पूरक.(2) एस. सी.सी. 385-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

(1995) पूरक **2** एस**.**सी**.**सी**.385** पैरा **7** को संदर्भित करता है।

(1990) पूरक एस**.**सी**.**सी**.764** से अलग पैरा **9**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 536 की 2021

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के 01.09.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से क्रिमिनल पेटिशन संख्या 2525 का 2003 से।

पी.ए. नूर मुहम्मद, सुश्री गिफारा एस., बिलाल नियामातुल्ला, सुश्री रुक्साना पी. एन., अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

अशोक भूषण**,** जे**.**।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279,337 और 338 के तहत अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाले अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक संशोधन को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के दिनांक 01.09.2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

3. अपीलार्थी, एक बस चालक, बस न.के.एल 7 डी4770 चलाते समय 16.02.1995 को एक दुर्घटना का कारण बना, जिसमें के.एल 10 बी 5634 का कार चालक घायल हो गया। अपीलार्थी पर भा.दं.सं की धारा 279, 337 और 338 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने दिनांक

28.04.1999 के फैसले में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के तहत दोषी ठहराया और उसे छह महीने के कारावास की सजा सुनाई और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 के तहत एक महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई।

4. अपीलार्थी द्वारा एक अपील दायर की गई थी जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 29.05.2003 के फैसले द्वारा खारिज कर दिया था।विद्वत सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 01.09.2015 के विवादित फैसले के माध्यम से आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया है।

5. इस अदालत ने 01.08.2016 पर केवल सजा के सवाल पर नोटिस जारी किया।नोटिस की सेवा पूरी हो चुकी है लेकिन कोई भी प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित नहीं हुआ है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एक गरीब परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है जिसमें चार बच्चे हैं-और उसकी पत्नी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अपीलार्थी को 21 वर्ष से अधिक समय के बाद जेल भेजा जाता है, तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायलय का निम्न निर्णय का आधार लिया है। ए**.** पी**.** राजू बनाम उड़ीसा राज्य**, 1995** में इस न्यायालय का निर्णय। पूरक **(2)** एस**.**सी**.**सी**.385** और प्रकाश चंद्र अग्निहोत्री बनाम एम**.**पी**.** राज्य**, (1990)** पूरक एससीसी **764**।

8. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. प्रकाश चंद्र अग्निहोत्री (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है, उसकी दलीलों का समर्थन करता है। उपरोक्त मामले में आरोपी को धारा 304 ए के तहत दोषी ठहराया गया और छह महीने की सजा सुनाई गई। इस न्यायालय ने कारावास की सजा को रू 500/- के जुर्माने में बदल दिया। अदालत

का विचार था कि घटना के 18 साल बाद अपीलार्थी को जेल भेजना कठोर होगा। फैसले के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित देखा गया थाः-

"1. निचली अदालतों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हम नीचे दी गई अदालतों के फैसलों से अवगत हुए हैं और हम उनमें कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। हम दोषसिद्धि का समर्थन करते हैं। यह घटना 18 फरवरी, 1972 को हुई थी। अपीलार्थी पूरा समय जमानत पर रहा है। उन्हें छह महीने के कठोर कारावास और रू 250/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हमारा विचार है कि घटना के 18 साल बाद अपीलार्थी को जेल भेजना कठोर होगा। न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि अपीलार्थी को रू 2000/- का जुर्माना देने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार सजा को रू 2000/- के जुर्माने में बदल दिया जाता है। यह राशि प्राप्त होने पर मृतक लड़की के परिवार को दी जाएगी। यह राशि आज से दो महीने के भीतर निचली अदालत में जमा की जानी चाहिए और निचली अदालत इसे लड़की के माता-पिता को और माता-पिता की अनुपस्थिति में लड़की के अगले रिश्तेदारों को वितरित करेगी। जुर्माने का भुगतान न करने पर अपीलार्थी को छह महीने का कारावास भुगतना होगा।"

10. यह घटना 26 साल से अधिक समय पहले 16.02.1995 को हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पूरे समय जमानत पर था। निचली अदालत ने सबूत जुटाने के बाद धारा 279,338 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की है और छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है और धारा 337 के तहत रू 500/- का जुर्माना देने की सजा सुनाई है।

11. हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि घटना को 26 साल बीत चुके हैं, हम धारा 279 और 338 के तहत छह महीने के कारावास की सजा को जुर्माने में बदलने के इच्छुक हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 और 338 के तहत छह महीने की सजा के स्थान पर रू 1000/- का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 के तहत जुर्माने की सजा बरकरार रखी जाती है।

12. अभियुक्त निचली अदालत में एक महीने की अवधि के भीतर रू 1000 + 1000 अर्थात Rs.2000 का जुर्माना जमा कर सकता है। निम्नलिखित न्यायालयों के निर्णयों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है। तदनुसार अपील को आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है।

बिभूति भूषण बोस अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।